# डायरी घोटाला शिक्षा विभाग में घोटालों की 'डायरी': देवनानी

- सत्रांत में 84.27 लाख विद्यार्थियों को दैनिक डायरी देने का मामला
- शिक्षा विभाग में 22 करोड़ का घोटाला, विभाग सरकारी धन को पानी की तरह बहाने को आमादा
- देवनानी ने जड़ा विभागीय अधिकारियों पर चहेती फर्म को फायदा देने का आरोप

**जयपुर,** (निसं)। सत्रांत में विद्यार्थियों को दैनिक डायरी बांटने का मामला तूल पकडता जा रहा है जिस पर भाजपा नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने भी प्रतिक्रिया दी है। देवनानी ने कहा कि सत्रांत में विद्यार्थियों को डायरी देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है फिर भी शिक्षा विभाग के अधिकारी दैनिक डायरियां बांटने को आमादा है। यह मामला डायरी बांटने के नाम पर 22 करोड रूपए का घोटाला मात्र नहीं है बल्कि प्रदेश के शिक्षा विभाग में पिछले तीन साल से जारी असखय घोटालों की बानगी भर है।

देवनानी ने कहा कि छात्र को पढाने और होमवर्क की सूचना पेरेंट्स को मिले इस उद्धेश्य को लेकर प्रदेश के विद्यार्थियों को सत्र के प्रारंभ में दैनिक डायरी दी जानी थी। विभाग द्वारा 28 जून को संबंधित फर्म को डायरी वितरण हेतु आदेश तक जारी कर दिया लेकिन पूरा सत्र खत्म होने को आया पर तय फर्म की ओर से बच्चों को डायरी नहीं बांटी गई। सत्र समाप्ति में अब मात्र एक माह शेष है।

सत्रांत में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते संबंधित फर्म 84.27 लाख विद्यार्थियों को दैनिक डायरियां बांटने को आमादा है। सत्रांत में फर्म द्वारा 22 करोड की लागत से तैयार डायरियां बांटना निश्चित ही तय चहेती फर्म को फायदा देने की ओर संकेत है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में प्रदेश में शिक्षा का बंटाधार तो हुआ ही है साथ ही शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। दैनिक डायरी वितरण के नाम पर 22 करोड का घोटाला तो केवल बानगी भर है ऐसे अनेकों घोटालों का खेला जाने-अनजाने में विभागीय अधिकारियों की ओर से प्रदेश में खेला जा रहा है। सरकार में बैठे लोगों की मिलीभगत से शिक्षा विभाग में सरकारी एवं जनता के धन को पानी की तरफ बहाया जा रहा है। देवनानी ने बच्चों को डायरी देने के नाम पर किए जा रहे 22 करोड के घोटाले के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

## शहीद दिवस कार्यक्रम होगा आयोजित

**मसुदा,** (निसं)। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अन्तर्गत आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 23 मार्च 2022 को शहीद दिवस के उपलक्ष में ब्लॉक स्तरीय सेमीनार, पंचायत समिति मसूदा सभागार में आयोजित किया जायेगा। जिला कलेक्टर अजमेर के निर्देशानुसार शहीद दिवस कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारीगण, समस्त जिला परिषद सदस्यगण, पंचायत समिति सदस्यगण, सरपंचगण व ग्राम विकास अधिकारी गण भाग लेंगे। उपखंड अधिकारी एवं पंचायत समिति प्रधान द्वारा दीप प्रजवलन एवं पुष्पांजलि कर कार्यक्रम शुभारम्भ किया जाएगा। कार्यक्रम में शहीद गीत/कविता पठन कार्यक्रम स्वतंत्रता सैनानियों के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा।


**अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर**

**-: आम सूचना :-**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की हरिभाउ उपाध्याय विस्तार योजना मे भूखण्ड संख्या 168 श्रीमति रामकंवर मीना पत्नि पो.जी. राम को आवंटित किया गया जिसका पट्टा क्रमांक 941 दिनांक 30.05.1997 को जारी किया गया था मूल आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से अमिता टण्डन पत्नि शलब टण्डन व शलब टण्डन पुत्र एस.के. टण्डन को किया तत्पश्चात अमिता टण्डन पत्नि शलब टण्डन व शलब टण्डन पुत्र एस.के. टण्डन द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का बेचान श्री ईश्वरसिंह पुत्र बदलूराम यादव को किया। श्री ईश्वरसिंह द्वारा शपथ पत्र व गुमशुदी की रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मूल पट्टा गुम हो गया है।

अतः भूखण्ड संख्या 168 हरिभाउ विस्तार का फ्री होल्ड पट्टा श्री ईश्वरसिंह के पक्ष मे जारी किये जाने पर किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय मे प्रस्तुत कर देवे। उक्त नियम अवधि के पश्चात आपत्ति स्वीकार नही होगी एवं फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जायेगा।

**योजना प्रभारी,अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर**

**कार्यालय ग्राम पंचायत करनोस, पंचायत समिति पीसांगन, अजमेर**

क्रमांक:ग्रा.पं./निर्माण/निविदा/2021-22/220 दि.11.03.2022

**ई-निविदा सूचना 02/21-22**

ग्राम पंचायत करनोस में निम्नांकित निर्माण कार्यो के लिए पंचायत समिति पीसांगन सार्वजनिक निर्माण विभाग जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं नगर निगम में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदकों से ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया द्वारा निविदाएं दिनांक 22.03.2022 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर अवलोकन की जा सकती है।

NIB-ZAJ2122A0744

UBN NO.-ZAJ2122WSOB00831-832

**ग्राम विकास अधिकारी** — **फूली, सरपंच**

**ग्राम पंचायत करनोस, पंचायत समिति पीसांगन** — **ग्राम पंचायत करनोस, पंचायत समिति पीसांगन**

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, जोन उत्तर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर**

क्रमांक:-LU2012/ADA/2021-22/100575 दिनांक :-21.03.2022

**लोक सूचना**

श्री TANMAY GOYAL पुत्र श्री RAJESH KUMAR GOYAL जाति AGARWAL निवासी 494/15, VISHNU KIRAN PATH, KOKIL KUNJ, PAL BEECHALA, AJMER 305001 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा संख्या | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | क्षेत्रफल (हैक्टे.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नारेली अजमेर (अजमेर) | M/S RAJ ESTATES LLP | 280 | 2500 | 0.25 |
| 2 | नारेली अजमेर (अजमेर) | M/S RAJ ESTATES LLP | 285 | 2000 | 0.2 |
| 3 | नारेली अजमेर (अजमेर) | M/S RAJ ESTATES LLP | 286 | 2000 | 0.2 |
| 4 | नारेली अजमेर (अजमेर) | M/S RAJ ESTATES LLP | 5704/278 | 300 | 0.03 |
| 5 | नारेली अजमेर (अजमेर) | M/S RAJ ESTATES LLP | 5706/279 | 2600 | 0.26 |
| 6 | नारेली अजमेर (अजमेर) | M/S RAJ ESTATES LLP | 281 | 1900 | 0.19 |
| 7 | नारेली अजमेर (अजमेर) | M/S RAJ ESTATES LLP | 282 | 700 | 0.07 |
| 8 | नारेली अजमेर (अजमेर) | M/S RAJ ESTATES LLP | 282/4931 | 1200 | 0.12 |
| 9 | नारेली अजमेर (अजमेर) | M/S RAJ ESTATES LLP | 283 | 700 | 0.07 |
| 10 | नारेली अजमेर (अजमेर) | M/S RAJ ESTATES LLP | 276 | 2700 | 0.27 |
| 11 | नारेली अजमेर (अजमेर) | M/S RAJ ESTATES LLP | 284 | 700 | 0.07 |
| | | | | कुल | 1.73 |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संम्बधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21.03.2022 को जारी की गयी।

**प्राधिकृत अधिकारी जोन उत्तर, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर**


# सब्जी की आड़ में अफीम की तस्करी, दो तस्कर गिरफ्तार

- अफीम मध्यप्रदेश से पंजाब ले जाई जा रही थी
- 605 ग्राम अफीम बरामद की

**भीलवाडा,** (निसं)। जिले की बनेड़ा थाना पुलिस ने सब्जी की आड में पिकअप में तस्करी कर ले जाई जा रही 605 ग्राम अफीम बरामद करते हुए पंजाब के दो तस्करों को गिरफ्तार कर पिकअप जब्त की है। अफीम मध्यप्रदेश से पंजाब ले जाई जा रही थी।

बनेड़ा पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक के आदेश से मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड व तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इसी के तहत बनेड़ा पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना पर पुलिस ने कोटा बाइपास पर सरहद बांसा का खेडा में नाकाबंदी की। सुवाणा की ओर से आई एक पिकअप को पुलिस ने रोका। उसमें सब्जी भरी थी। पुलिस को शंका हुई तो पिकअप की तलाशी ली गई। इस पर पिकअप में छिपा कर रखी 605 ग्राम अफीम बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इसे लेकर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है, जिसकी अग्रिम जांच बागौर थाना प्रभारी अयूब मोहम्मद के जिम्मे की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में तस्करों ने यह अफीम मध्यप्रदेश से खरीदकर लाने व पंजाब ले जाना कबूल किया है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में सीआई नंदलाल, दीवान मांगीलाल, कांस्टेबल मोतीलाल, मुकेश, विक्रम व जगदीश शामिल थे।

पुलिस ने पिकअप चालक संदीप (29) पुत्र रामकुमार अग्रवाल निवासी सुंदर नगर बस्ती मोर रोड, मुक्तसर शाहिद, पंजाब व बलविंदर सिंह (26) पुत्र रूडसिंह जटसिख निवासी श्रीमुक्तसर शाहिद पंजाब को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया की एयर क्लीनर में छिपा कर अफीम की तस्करी की जा रही थी। पिकअप रोक कर जांच की तो उसमें हरी सब्जी भरी थी। संदेह के आधार पर पुलिस ने पिकअप का बोनट खोला। एयर क्लीनर को चैक किया तो उसमें 605 ग्राम अफीम मिली। पुलिस मामले की अग्रिम जांच कर रही है।

# अग्रवाल समाज का फाग महोत्सव व वरिष्ठजन सम्मान समारोह सम्पन्न

**अजमेर,** (कासं)। अग्रवाल समाज अजमेर का होली स्नेह मिलन, फाग महोत्सव तथा वरिष्ठजन सम्मान समारोह राजहंस वाटिका, पटेल मैदान के पास अजमेर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाजसेवी एवं व्यवसायी इंजीनियर किशनचंद बंसल थे तथा अध्यक्षता अग्रवाल समाज अजमेर के अध्यक्ष पूर्व पार्षद शैलेन्द्र अग्रवाल ने की।

अग्रवाल समाज अजमेर के अध्यक्ष शैलेन्द्र अग्रवाल व महासचिव प्रवीण अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रारम्भ में मुख्य अतिथि किशनचंद बंसल तथा प्रभा बंसल सहित अग्रवाल समाज अजमेर के मुख्य संरक्षक रमेशचंद अग्रवाल व राधिका अग्रवाल, संरक्षकगण अशोक पंसारी, नरेन्द्र मंगल, कैलाशचंद अग्रवाल, हनुमान दयाल बंसल, प्रेमचंद अग्रवाल व जंवरीलाल बंसल, अग्रवाल समाज अध्यक्ष शैलेन्द्र अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र बंसल, महासचिव प्रवीण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विनय गुप्ता व संगठन सचिव राजेन्द्र अग्रवाल ने श्री कृष्ण भगवान व श्री अग्रसेन भगवान प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

फाग महोत्सव तथा वरिष्ठजन सम्मान समारोह राजहंस वाटिका, पटेल मैदान के पास अजमेर में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में फाग महोत्सव के तहत कृष्ण भगवान का दरबार सजाया तथा तथा जगद्गुरू निम्बार्काचार्य श्री श्री जी महाराज के विशेष कृपा पात्र प्रसिद्ध भजन गायक अशोक तोषनीवाल व शिल्पा जी तथा श्री सर्वेश्वर संकीर्तन मंडल द्वारा श्री राधा कृष्ण के भजन एवं होली फाग गीत व धमाल प्रस्तुत किये गये जिस पर उपस्थित समाजबंधु झूम उठे। इस अवसर पर पुष्प वर्षा कर व उपस्थित सभी अग्रबंधुओं व मातृशक्ति के चंदन का तिलक लगाकर होली खेली गयी। कार्यक्रम में उपस्थित अजमेर की विभिन्न अग्रवाल संस्थाओं व धड़ों के अध्यक्ष व सचिव तथा गणमान्य महानुभावों रमेशचंद अग्रवाल, विष्णु प्रकाश गर्ग, डॉ विष्णु चौधरी, अशोक पंसारी, दिप्ति गोयल आदि का भी मोतियों की माला व दुपट्टा पहनाकर कर अभिनंदन किया गया।


**कार्यालय नगर परिषद, मकराना नागौर (राज.)**

Email-npmakrana@gmail.com फोन:- 01588-240107, फैक्स 241380

क्रमांक :- नपम/भूमि/2021-22/ 6209 दिनांक:- 21.03.2022

**आपत्ति आमंत्रण सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों द्वारा "प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021" के तहत परिषद में निम्न रूप में उल्लेखित प्रयोजनार्थ के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है। परिषद द्वारा आवेदित प्रयोजनार्थ के तहत प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। निम्न प्रकरणों में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में आपत्ति मय दस्तावेजों के विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से 07 दिवस में कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

| क्र. सं. | आवेदक खातेदार का नाम /पिता का नाम व पता | प्रयोजन | पट्टा/ खसरा संख्या | क्षेत्रफल | पड़ौस |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री नौशाद अहमद शाह, इन्शाद अली पिसरान श्री मोहम्मद रफीक निवासी व्यापारियों का मोहल्ला, गोलावास मकराना | 69-क मिश्रित | खसरा नं. 640 | 189.96 वर्गगज | पूर्व : आम रास्ता पश्चिम :- आम रास्ता उत्तर :- आम रास्ता दक्षिण :- स्वयं की भूमि |
| 2 | श्री नवाब अली, शहादत अली, मोहम्मद हसन, अकबर अली, सिकन्दर अली, मोहम्मद रमजान पिसरान श्री अब्दुल समद निवासी गली नं. 02 जूसरी रोड मकराना | कृषि भूमि नियमन आवासीय | खसरा नं. 570 | 890.96 वर्गगज | पूर्व : नियाकत सिसोदिया का मकान पश्चिम :- शामलाती रास्ता उत्तर :- आम रास्ता दक्षिण : शहादत गैसावत का मकान |
| 3. | श्री नवाब अली, शहादत अली, मोहम्मद हसन, अकबर अली, सिकन्दर अली, मोहम्मद रमजान पिसरान श्री अब्दुल समद निवासी मगनीराम पेट्रोल पम्प के पीछे, जूसरी रोड मकराना | कृषि भूमि नियमन आवासीय | खसरा नं. 446 | 496.58 वर्गगज | पूर्व : मोहम्मद इरशाद का मकान पश्चिम :- निजी रास्ता उत्तर :- सिकन्दर अली गहलोत की भूमि दक्षिण :- स्वयं की भूमि |
| 4 | श्री नवाब अली, शहादत अली, मोहम्मद हसन, अकबर अली, सिकन्दर अली, मोहम्मद रमजान पिसरान श्री अब्दुल समद निवासी टांको का जाव मकराना | कृषि भूमि नियमन आवासीय | खसरा नं. 383 | 178.07 वर्गगज | पूर्व : आम रास्ता पश्चिम :रशीद जी का मकान उत्तर : कयूम जी का मकान दक्षिण : नवाब जी का मकान |
| 5. | श्री नवाब अली, शहादत अली, मोहम्मद हसन, अकबर अली, सिकन्दर अली, मोहम्मद रमजान पिसरान श्री अब्दुल समद निवासी अमनपुरा नदी चौक मकराना | 69-क आवासीय | वार्ड नं. 42 | 232.55 वर्गगज | पूर्व : शौकत सिसोदिया का मकान पश्चिम अयुब चौधरी का मकान उत्तर :- आम रास्ता दक्षिण :- अयुब शाह का मकान |
| 6 | श्री नवाब अली, शहादत अली, मोहम्मद हसन, अकबर अली, सिकन्दर अली, मोहम्मद रमजान पिसरान श्री अब्दुल समद निवासी गोल बिल्डिंग बोरावड बाईपास रोड मकराना | कृषि भूमि नियमन वाणिज्यिक | खसरा नं. 740 | 367.77 वर्गगज | पूर्व : आम रास्ता पश्चिम :- अल्लाहनूर जी चौधरी की भूमि उत्तर :- स्वयं की भूमि दक्षिण ताजमुहम्मद गैसावत की भूमि |
| 7 | श्री नवाब अली, शहादत अली, मोहम्मद हसन, अकबर अली, सिकन्दर अली, मोहम्मद रमजान पिसरान श्री अब्दुल समद निवासी मगनीराम पेट्रोल पम्प के पीछे, जूसरी रोड मकराना | कृषि भूमि नियमन आवासीय | खसरा नं. 445 | 495.61 वर्गगज | पूर्व : मोहम्मद इरशाद का मकान पश्चिम :- रफीक की भूमि उत्तर :- स्वयं की भूमि दक्षिण :- मोहम्मद जी खत्री का मकान |
| 8 | श्री नवाब अली, शहादत अली, मोहम्मद हसन, अकबर अली, सिकन्दर अली, मोहम्मद रमजान पिसरान श्री अब्दुल समद निवासी गौसिया मस्जिद अमनपुरा नदी चौक मकराना | कृषि भूमि नियमन आवासीय | खसरा नं. 383 | 197.68 वर्गगज | पूर्व : कालू जी का मकान व निकास पश्चिम :- सदीक सिसोदिया का मकान उत्तर :- फारूक जी सिसोदिया का मकान दक्षिण :- कालू रशीद का मकान |
| 9 | श्री नवाब अली, शहादत अली, मोहम्मद हसन, अकबर अली, सिकन्दर अली, मोहम्मद रमजान पिसरान श्री अब्दुल समद निवासी जूसरी रोड मकराना | कृषि भूमि नियमन वाणिज्यिक | खसरा नं. 442 | वर्गगज | पूर्व : हाजी अब्दुल समद का कारखाना पश्चिम :- कुरैशी का प्लॉट उत्तर :- जूसरी रोड दक्षिण :- कुरैशी का प्लॉट |
| 10 | श्री संतोष कुमार सोलंकी पुत्र श्री स्व. हुकमाराम सोलंकी निवासी धारी जी का बंगला सोलंकी नगर गुणावती रोड मकराना | कृषि भूमि नियमन आवासीय | खसरा नं. 725 | 242.77 वर्गगज | पूर्व : शामलाती रास्ता पश्चिम :- हैमराज सोलंकी की भूमि उत्तर :- गुणावती रोड दक्षिण :- शामलाती चौक |
| 11 | श्री अब्दुल शकूर, अब्दुल रशीद, मो. हुमेर आलम पिसरान श्री निसार अहमद व श्री आसिफ, फुरकान पिसरान श्री श्री अजीज निवासी बाईपास तिराहा मकराना | 69-क आवासीय | वार्ड नं 18 | 39.00 वर्गगज | पूर्व : रफीक सिसोदिया की जमीन पश्चिम :- [illegible] की भूमि उत्तर :- युसूफ [illegible] की भूमि दक्षिण :- अमर होटल व निकास |
| 12 | श्री हाफिज शौकत अली, जाकिर हुसैन, इस्लामुद्दीन पिसरान श्री दीन मोहम्मद व श्रीमती हुसना बानो पत्नी श्री स्व. अब्दुल रशीद निवासी मनिहारों का मोहल्ला सदर बाजार मकराना | 69-क आवासीय | वार्ड नं. 32 | 98.06 वर्गगज | पूर्व : जहुर भाटी का मकान पश्चिम :- शामलाती रास्ता उत्तर :- अब्दुल मजीद का मकान दक्षिण : मोहम्मद अली का मकान |
| 13 | श्री मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रमजान पिसरान श्री छोटूजी व श्रीमती बतुल पत्नी श्री छोटू जी निवासी गुलजारपुरा मकराना | 69-क आवासीय | वार्ड नं. 47 | 00.00 वर्गगज | पूर्व : अन्य का मकान पश्चिम :- आम रास्ता उत्तर :- अन्य का मकान दक्षिण :- अन्य वगैरह |
| 14 | श्रीमती मुमताज पत्नी श्री फखरूदीन चौहान निवासी लुहारपुरा गांगवा रोड राजोरा जाव मकराना | कृषि भूमि नियमन आवासीय | खसरा नं. 788 | 204.44 वर्गगज | पूर्व : आम रास्ता पश्चिम :- इकबाल जी भाटी का प्लॉट उत्तर :- मुख्तार चौहान का मकान दक्षिण :- अनवर जी का मकान |
| 15 | श्री मुख्तयार अहमद पुत्र श्री अल्लाहनूर चौहान निवासी भाटीपुरा रोड मकराना | कृषि भूमि नियमन आवासीय | खसरा नं. 769 | 253.33 वर्गगज | पूर्व : स्वयं का प्लॉट पश्चिम :- मुश्ताक अहमद चौहान का प्लॉट उत्तर :जीवन जी सिसोदिया का प्लॉट दक्षिण :- निजी रास्ता |
| 16 | श्री मुख्तयार अहमद पुत्र श्री अल्लाहनूर चौहान निवासी भाटीपुरा रोड मकराना | कृषि भूमि नियमन आवासीय | खसरा नं. 769 | 222.22 वर्गगज | पूर्व : अब्दुल कयूम की भूमि पश्चिम :- स्वयं की भूमि व निजी रास्ता उत्तर :- जीवन जी सिसोदिया का प्लॉट दक्षिण :- संतोष कुमार व सम्पलाल |
| 17 | श्रीमती मुमताज पत्नी श्री अनवर अहमद खत्री निवासी गरीब नवाज कॉलोनी गली नं. 06 मकराना | कृषि भूमि नियमन आवासीय | खसरा नं. 529 | 316.60 वर्गगज | पूर्व : स्वयं का प्लॉट पश्चिम :- शमीम का प्लॉट उत्तर :- आम रास्ता दक्षिण :श्याम जी का प्लॉट |

**आयुक्त नगर परिषद मकराना**


## गैर नृत्य कार्यक्रम सम्पन्न

**अजमेर,** (कासं)। सर्व श्री रैगरान पंचायत चारों बारी अजमेर द्वारा डिग्गी तालाब के पीछे, विष्णु मंदिर प्रांगण में रैगर समाज का गैर नृत्य का आयोजन पिछले 5 दिनो से चल रहा है जिसका समापन आज किया गया।

जानकारी देते हुए अध्यक्ष अरविन्द धौलखेड़िया ने बताया कि यह रैगर समाज का बहुत प्राचीन व प्रसिद्ध गैर नृत्य है। यह नृत्य समाज द्वारा फाग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उक्त कार्यक्रम से समाज के लोगों में एकता भाईचारे का संदेष पहुंचता है। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते है तथा समाज की सांस्कृति से ही समाज जीवित रहता है। रैगर समाज की प्राचीन गैर जो कि पिछले 20 वषी से बंद हो गई थी जिसे पुनः प्रारम्भ कराया गया जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्ति व महिलाओं, बच्चो ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया व उत्साह पूर्वक कार्यक्रम को सफल बनाया।

## लेखाकर्मी 24 को अवकाश पर, जयपुर में करेगे प्रदर्शन

**अजमेर,** (कासं)। संघर्ष समिति राजस्थान एकाउन्टेन्ट्स ऐसोसिएषन के बेनर तले लामबंद लेखाकर्मी की 5 सूत्रीय मांगो तथा कनिष्ठ लेखाकर ग्रेड पे 4200 करने, कनिष्ठ लेखाकार पदोन्नति हेतु अनुभव में 02 साल का शिथिलन, सहायक लेखाअधिकारी पद को राजकीय घोषित करने, सहायक लेखाधिकारी प्रथम से लेखाधिकारी पद पर पदोन्नति कोटा व सीसी भर्ती का रेसियों 80:20 करने यहाँ तक 100 प्रतिषत करने की मांग है, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति ही वितीय प्रबंधन उचित ढंग से कर सकता है एवं अधीनस्थ लेखा कार्मिको के पदनाम परिवर्तन की मांगो को लेकर आंदोलित है।

भवंर सिंह राजावत ने बताया कि आंदोलन के प्रथम चरण में 27 फरवरी को ज्ञापन दिया गया एवं 11 मार्च को पूरे राजस्थान के लेखाकर्मियों के अवकाश पर रहते हुए समस्त जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना दिया गया एवं समस्त जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से स्मरण कराया गया।

प्रथम चरण के आंदोलन के बावजूद वित विभाग के आला अधिकारियों द्वारा कोई उचित कार्यवाही संगठन की मांगो के संबंध में नहीं करने एवं वार्ता के माध्यम से उचित समाधान नहीं निकालने से लेखाकमिन्यों में भयंकर रोष व्याप्त है। वित्त विभाग की बेरूखी के कारण संगठन को आंदोलन को तेज करने के लिए दूसरे चरण में प्रदेश के समस्त लेखाकर्मी 24 मार्च गुरूवार को अवकाष पर रहेगे एवं समस्त कार्यरत बाईस गोदाम कर्मचारी मैदान पर महासभा एवं अनुमति अनुसार रैली का आयोजन करेगे।

## अनिल व्यास अध्यक्ष निर्वाचित

**भीलवाडा,** (निसं)। जिला तैराकी संघ भीलवाडा के चुनाव शाहपुरा के स्विमिंग पूल पर राजस्थान तैराकी संघ चुनाव पर्यवेक्षक बशीर अहमद नकवी, जिला क्रीडा परिषद के पर्यवेक्षक ओमप्रकाश गुर्जर की मौजूदगी में चुनाव अधिकारी लादूराम दाखेडा की देखरेख में संपन्न हुए। यह कार्यकारिणी 2022 से 2026 तक चार साल के लिए मान्य रहेगी। चुनाव अधिकारी लादूराम दाखेडा ने मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के बाद बताया कि भीलवाडा जिला तैराकी संघ के चुनाव आज राजस्थान तैराकी संघ के निर्देश पर संपन्न कराये गये है। इसमें अध्यक्ष अनिल व्यास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह धाबाई, उपाध्यक्ष अखिल व्यास, जितेंद्र सर्वा, राजेश गगराणी, अवैतनिक सचिव नरेश बूलियां, सह सचिव राकेश वर्मा, गोपाल कृष्ण सुल्तानियां, गोपाल सोनी, सत्यनारायण टेलर व कोषाध्यक्ष महाव्रत गौतमसिंह चैहान चुने गये।


**कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ ( अजमेर ) राज.**

क्रमांक : नपकि/भू.उपयोग/परिवर्तन/2022/918 दिनांक : 21.03.2022

**आम सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में निम्न भूखण्ड का विवरण ए-19 में भूखण्ड क्षेत्रफल 280.08 वर्गगज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण विचाराधीन है अतः निम्न खसरा नम्बर के भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/कारण/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

| क्र. सं. | प्रार्थी का नाम | भूखण्ड संख्या का विवरण | क्षेत्रफल रकबा | प्रस्तावित भू-उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री मनीष जैन पुत्र श्री रतनलाल जाति जैन | लक्ष्मीनारायण विहार कॉलोनी अजमेर रोड भू.सं. ए-19 | 280.08 वर्गगज | आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ |

**आयुक्त, नगर परिषद किशनगढ़**

**कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ जिला- अजमेर ( राज. )**

क्रमांक-न.प.कि./PWC/2022/336 दिनांक :-16.03.2022

**आम सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी श्री रोडमल मीणा, द्वारा राजस्व ग्राम फरासिया, भूखण्ड सं. 14, क्षेत्रफल 135.33 वर्गगज, खसरा संख्या 110, फरासिया अजमेर रोड़ मदनगंज किशनगढ़ पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है :-

पूर्व में : श्री लालचन्द का मकान — पश्चिम में : श्री लालचन्द का मकान

उत्तर में : आम रास्ता — दक्षिण में : 15' आम रास्ता

अतः उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी।

**आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ**

**कार्यालय नगर निगम, अजमेर**

क्रमांक:-न.नि.अ./एम.बी./11647 दिनांक :-21/03/2022

**आपत्ति सूचना**

श्री पंकज जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन निवासी 29/351 मदन गोपाल रोड़, केसरगंज, अजमेर द्वारा एक सम्पति/भूखण्ड जिसका ए.एम.सी. नम्बर 470/30 पुराना 154-ए/22 का भाग है जो वाके रावण की बगीची उसरी गेट के पास, अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 175.49 वर्गमीटर है। भूमि के व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार है

पूर्व :-सम्पति रमजान की — पश्चिम:-थावरदास की सम्पति

उत्तर : आम रास्ता चौक — दक्षिण :-इसी सम्पति का भाग अनुज जैन व नीरू का

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।

**उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर**

**कार्यालय ग्राम पंचायत बोरेला**

**पंचायत समिति आसीन्द, भीलवाड़ा**

क्रमांक/निविदा/2021-22/एसपीएल2 दिनांक :-21.03.2022

ग्राम पंचायत बोरेला द्वारा निम्नांकित कार्यो के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

UBN NO -ZBL2122WSRC01875 TO ZBL2122WSRC01887

अन्य विवरण जैसे निविदा शुल्क, धरोहर राशि निविदा प्रस्तुत करने/खुलने की तिथि का विवरण इत्यादि कार्यालय समय में ग्राम पंचायत कार्यालय वwww.sppp.rajasthan.gov.in द्वारा जानी जा सकती है।

**ग्राम विकास अधिकारी,**
**ग्राम पंचायत बोरेला**

**कार्यालय ग्राम पंचायत करनोस, पंचायत समिति पीसांगन, अजमेर**

क्रमांक:ग्रा.पं./निर्माण/निविदा/2021-22/227 दि.11.03.2022

**ई-निविदा सूचना 03/21-22**

ग्राम पंचायत करनोस में निम्नांकित निर्माण कार्यो के लिए पंचायत समिति पीसांगन सार्वजनिक निर्माण विभाग जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं नगर निगम में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदकों से ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया द्वारा निविदाएं दिनांक 25.03.2022 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर अवलोकन की जा सकती है।

NIB-ZAJ2122A0748

UBN NO.-ZAJ2122WSOB00836-837

**ग्राम विकास अधिकारी** — **फूली, सरपंच**

**ग्राम पंचायत करनोस, पंचायत समिति पीसांगन** — **ग्राम पंचायत करनोस, पंचायत समिति पीसांगन**


# कलेक्टर ने पात्रों को योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए

बैठक में बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बंध में भी विस्तृत चर्चा की गई।

- साप्ताहिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

**नागौर,** (निसं)। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

जिला कलेक्टर ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल मीणा से मनरेगा योजनांतर्गत स्वीकृत सडक किनारे पौधरोपण के कार्य, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत बकाया टीएस, अप्रारम्भ कार्य, बकाया सीसी तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक-एक ई-मित्र कियोस्क व एटीएम मशीन लगवाने व खेल मैदान निर्माण कार्य में लक्ष्यानुरूप प्रगति लाने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर समारिया ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए पात्र को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण तथा परिवार कल्याण संबंधी योजनाओं का फीडबैक लेते हुए कोविड स्वास्थ्य सहायकों के भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये। जिला कलेक्टर ने जिला रसद अधिकारी को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले सरकारी कार्मिको के संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर शीघ्रता से वसूली करने एवं विभागवार कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से जिले में बजट घोषणाओं से सम्बंधित मांगपत्र भिजवाने के लिए निर्देशित किया। इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध रूप से सन्तुष्टिपूर्ण निस्तारण करने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक में बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बंध में भी विस्तृत चर्चा की गई।

इस दौरान सहायक कलेक्टर रामजस बिश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मेहराम महिया, उप वन संरक्षक ज्ञानचंद मकवाना, नगरपरिषद सचिव अनिता बिरड़ा, जिला खेल अधिकारी भंवरराम सियाक, सूचना प्रोद्योगिकी के कुम्भाराम रेलावत, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता हिमांशु गोविल, रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके गुप्ता, जिला रसद अधिकारी कंवराराम, जिला उद्योग केन्द्र के बजरंग सांगवा एवं शिक्षा विभाग, राजीविका, कृषि विभाग व पशुपालन विभाग के अधिकारियों सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।


**आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लि. के नाम से जाना जाता था)

IDFC FIRST Bank

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

प्राधिकृत अधिकारी - अमित कुमार झा सम्पर्क नम्बर-7073340715 और 9874702021

**परिशिष्ट-IV-ए**

**(नियम 8 (6) का प्रावधान देखें)**

**अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री की सूचना**

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री करने के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना/एतद् द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप से ऋणग्रहिता (ओं) व जमानती (यों) को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्तियाँ सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित रखी गयी है तथा इन सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा आईडीएफसी बैंक लि. अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है। इन सम्पत्तियों की बिक्री 26.04.2022 को "जहाँ है जैसी है" "जो कुछ है यह हैं" तथा "जो कुछ है वहाँ है" के आधार पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड) को 13.04.2021 को बकाया रुपये 23115690/- की लक्ष्मी नारायण, अंकित रेलन, सुधीरर कुमार, वीना रेलर (ऋण ग्रहिता-सह ऋण-ग्रहिता (ओ)) से वसूली के लिये की जायेगी।

**पहली सम्पत्ति के लिये नीलामी विवरण**

| | |
|---|---|
| आरक्षित मूल्य | रूपये 77,30,000/- |
| बयाना राशि जो जमा होगी | रूपये 773000/- |
| बोली प्रस्तुत करने / बयाना राशि जमा कराने की तिथि | 25.04.2022 को सायं 5.00 तक |
| सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि | 18.04.2022 को प्रातः 11.00 से सायं 4.00 तक |
| नीलामी की तिथि | 26.042022 प्रातः 11.00 से दोपहर 1.00 तक |
| सम्पत्ति का विवरण | रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. एएमसी नं. 1338/12-168-ए/26 पार्ट बी, पश्चिम भाग नयी बस्ती, रामगंज, अजमेर, राजस्थान, क्षेत्रफल 2237.01 वर्गफिट, सीमायें निम्न है-उत्तर-40' चौड़ी रोड, दक्षिण-12' चौडी रोड, पूर्व-श्री के.के. रेलन की बाकी सम्पत्ति, पश्चिम -कैलाश गोयल की सम्पत्ति |

**दूसरी सम्पत्ति के लिये नीलामी विवरण**

| | |
|---|---|
| आरक्षित मूल्य | रूपये 01,05,95,000/- |
| बयाना राशि जो जमा होगी | रूपये रूपये 1059500/- |
| बोली प्रस्तुत करने / बयाना राशि जमा कराने की तिथि | 25.04.2022 को सायं 5.00 तक |
| सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि | 18.04.2022 को प्रातः 11.00 से सायं 4.00 तक |
| नीलामी की तिथि | 26.04.2022 प्रातः 11.00 से दोपहर 1.00 तक |
| सम्पत्ति का विवरण | रिहायशी सम्पत्ति प्लाट, एएमसी नं. 594/26-593/26 का भाग, रेलवे अस्पताल के सामने, पश्चिम रोड, ब्यावर रोड, अजमेर, राजस्थान, क्षेत्रफल 220ह वर्गगज, 594/26 क्षेत्रफल 221.89 वर्गगज सीमाये निम्न है- उत्तर-रोड, दक्षिण- श्रीमती अंजना की सम्पत्ति, पूर्व-निजी सम्पत्ति व रोड, पश्चिम-अन्य सम्पत्ति |

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये लिंक को देखें अर्थात http://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC

**अस्वीकरण**- कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस केवल अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए जारी किया गया है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को चल सम्पत्तियों को बेचने का अधिकार नहीं है, यदि कोई, अचल सम्पत्ति पर मौजूद हो।

**प्राधिकृत अधिकारी**
**आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**
**(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लि. के नाम से जाना जाता था)**

दिनांक- 21.03.2022
स्थान - अजमेर